

सोशल

मीडिया

सेल

जनपद

आजमगढ़

पत्र संख्या:- 29/प्रेसनोट/2021

14 जनवरी 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- मेहनगर

जानलेवा हमला करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13.01.2021 को दिनांक मृत्यूजय सिंह उर्फ विककी पुत्र श्री कृष्णगोपाल सिंह निवासी ग्राम मानपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ ने शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 12.01.2021 को मेरे चचेरे साढ़ अरुण सिंह पुत्र बब्बन सिंह ग्राम सेमराज थाना हलधरपुर जिला मऊ द्वारा पुरानी रंजीश के कारण मेरे उपर बाका से प्रहार कर जानलेवा हमला किया जिससे मुझे काफी चोटे आयी है। इस सूचना पर थाना मेहनगर पर मु0अ0सं0-05/2021 धारा 457/307/324/54/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 14.01.2021 को उ0नि0 पंकज यादव मय हमराह का0 सुधीर यादव द्वारा वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मौजूद थे। उसी दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-05/2021 धारा 457/307/324/54/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अरुण सिंह पुत्र बब्बन सिंह निवासी ग्राम सेमराजपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ को एक अदद मोटरसाईकिल सुपर स्पलेण्डर नम्बर UP54 W2171 के साथ अंकित सिंह पुत्र रामसमुझ सिंह निवासी मानपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ के ट्यूबेल से समय 7.10 बजे सुबह गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 05/21 धारा 457/307/324/504/506 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त

अरुण सिंह पुत्र बब्बन सिंह सा0 सेमराजपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ

बरामदगी

एक अदद मो0सा0 UP54 W2171

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 पंकज यादव मय हमराह का0 सुधीर यादव थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल

11 व्यक्तियों के विरूद्ध 151

सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।